क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	20/5/24	पत्रावली पेश हुई। वादी के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली आदेशार्थ विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रा.पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट/पटवार रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर एवं वादी अभिभाषक की बहस को मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.का. अधि. स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली में जारी कार्यवाही विचाराधीन रखा जाना कोई औचित्य नहीं है अतः! इसे खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो [illegible] दाखिल दफ्तर हो।
		उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
110/2018

तारीख दायर
07/09/2018

तारीख फैसला
20.05.2024

1. राधेश्याम पुत्र छोटीलाल आयु 40 साल जाति माली निवासी सिंधीवालों का बाग ग्राम आमेर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान ।
2. प्रेमदेवी पत्नि हनुमान सहाय जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
3. भौरीलाल पुत्र गंगासहाय जाति महाजन निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
4. सहायक अभियन्ता कृषि मण्डी जयपुर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा – वकील प्रार्थी।
श्री रामकरण शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 2

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् नक्शा, रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा के यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 468 रकबा 0.0100है0, 469 रकबा 1.7200है0, ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए रास्ते कि भूमि खसरा नम्बर 426 एवं अप्रार्थी सं0 2 लगायत 3 कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 413 स्थित है। हाल किये गये सेटलमेंट में प्रार्थीगण की भूमि साविका खसरा नम्बर 410 मिन के नवीन खसरा नम्बर 468, साबिका खसरा नम्बर 410 मिन के नवीन खसरा नम्बर 469 बनाये गये है। रास्ते की भूमि साबिका खसरा नम्बर 376 के नवीन खसरा नम्बर 426 एवं अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि का साबिका खसरा नम्बर 364 के नवीन खसरा नम्बर 413 बनाये गये है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 410 मिन, 410 मिन के नवीन खसरा नम्बर 468, 469 पर पूर्व नक्शा अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि से लगते हुए रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 426 एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 413 का राजस्व नक्शें में रकबा बढा कर एवं प्रार्थीगण की भूमि का रकबा कम कर अप्रार्थीगण की भूमि एवं रास्ते की भूमि को पश्चिम दिशा में सरका कर अंकित कर दिया है। प्रार्थीगण के नवीन खसरा नम्बर 468, 469 को नवीन नक्शे में वास्तविकता से परे रकबा कम कर राजस्व नक्शें में पश्चिम दिशा में खिसका कर अंकित कर दर्शाया है। नक्शे में मे हाल सैटलमेट में खसरा नम्बर 468, 469 का रकबा बढाकर पश्चिम मे खिसका कर अवैध रूप से अंकित कर दिया गया है। मौके पर सैकडों सालों से चले आ रहे रास्ते की भूमि को भी पश्चिम मे सरका दिया है जो मौके स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप नही है। नवीन खसरा नम्बर 468, 469 मौके पर कृषि भूमि है तथा सैटलमेंट विभाग अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

अवैध रूप से खसरा नम्बर 468, 469 की कब्जे काश्त की भूमि का रकबा कम कर नवीन खसरा नम्बर 426 एवं 413 का अंकन कर प्रार्थीगण की भूमि का पश्चिम मे खिसका दिया है अवैध रूप से रास्ते का अंकन कर दिया जबकि मौके उक्त रास्ता पूर्व अनुसार मौके पर स्थित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का पूर्वानुसार कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 468, 469 की दुरूस्ती कर नवीन खसरा नम्बरान की भूमि दुरूस्त नक्शा कब्जेकाश्त एवं रकबे के अनुसार पूर्वानुसार कायम यिका जाना आवश्यक है। ग्राम खवारानीजी के गत खसरा नम्बर 410 मिन के नवीन खसरा नम्बर 468, 469 एवं रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 376 के नवीन खसरा नम्बर 426 एवं खसरा नम्बर 364 के नवीन खसरा नम्बर 413 को पूर्वानुसार अंकन करते हुए पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त एवं गत नक्शें के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधि0 श्री रामकरण शर्मा उपस्थित। अप्रार्थीगणों की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी सं0 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण सं0 3 लगायत 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/ आर.एन.टी./19/125 दिनांक 04.06.2019 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खवारानीजी के खसरा नम्बर 468 रकबा 0.01है0 व खसरा नम्बर 469 रकाब 1.72है0 दर्ज है। जिसके खातेदार रामजीलाल पुत्र बद्रीनारायण हि0 2/137 कौम ह0ब्रा0, रूकमणी पत्नि छोटीलाल हि0 135/137 कौम माली निवासी सिंधीवालों का बाग आमेर के नाम दर्ज है। जिसके खातेदार प्रेमदेवी पत्नि हनुमान सहाय हि0 1/2 कौम ह0ब्रा0 भौरीलाल पुत्र गंगासहाय हि0 1/2 कौम महाजन के नाम दर्ज है। सैटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नम्बर 410 मिन के हाल खसरा नम्बर 468, 469 दर्ज हुये है और साबिक खसरा नम्बर 376 किस्म गै0मु0रास्ता के हाल खसरा नम्बर 426 दर्ज हुआ है। साबिक खसरा नम्बर 364 के हाल खसरा नम्बर 413 सेटलमेंट द्वारा दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 468 व 469 पर खातेदार रामजीलाल पुत्र बद्रीनारायंण हि0 2/137 व रूकमणी पत्नि छोटीलाल हि0 135/137 जाति माली के वारिस काबिज काश्त कर रहे है और खसरा नम्बर 426 पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड व नक्शें के अनुसार रास्ता चालु है व खसरा नम्बर 413 राजस्व रिकार्ड व नक्शें के अनुसार खातेदार काबिज है। नये व पुराने नक्शें में प्रार्थी गै0मु0 रास्ता व अप्रार्थी सं0 2 की भूमि में लगभग 2 मीटर नया व पुराना नक्शा खिसका हुआ है। जिसके कारण नये व पुराने नक्शें में उक्त भूमि का ढंग से मिलान नही हो पा रहा है व मिलान करने पर लगभग 2 मीटर का अन्तर प्रतीत हो रहा है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम खवारानीजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 410 मिन के नवीन खसरा नम्बर 468, 469 एवं रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 376 के नवीन खसरा नम्बर 426 एवं खसरा नम्बर 364 के नवीन खसरा नम्बर 413 को गत नक्शे अनुसार दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शें में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
जमवारामगढ़